छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग का जिला–बालोद मे दिनांक 19.09.2025 को निरीक्षण दौरा एवं आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण

श्री संदीप शर्मा, माननीय अध्यक्ष, छ.ग. राज्य खाद्य आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 19.09.2025 को जिला–बालोद मे कलेक्ट्रोरेट स्थित सभा कक्ष मे अपरान्ह 3:00 बजे समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें श्री राजेन्द्र महिलांग, सदस्य छ.ग. राज्य खाद्य आयोग, श्री राजीव कुमार जायसवाल, सदस्य सचिव, छ.ग. राज्य खाद्य आयोग, श्रीमती दिव्या मिश्रा, कलेक्टर, बालोद, श्री सुनील चंद्रवंशी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के अलावा खाद्य अधिकारी, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी तथा सहायक आयुक्त, आदिम जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग भी उपस्थित रहें। बैठक में निरीक्षण दौरा के निष्कर्षों एवं निर्धारित एजेंडा पर बिन्दुवार चर्चा उपरांत आयोग द्वारा की गई अनुशंसाएं निम्नानुसार हैः–

1. उचित मूल्य दुकान, ग्राम पंचायत कचांदुर मे निरीक्षण के दौरान खाद्यान्न का सैम्पल प्रदर्शित नही पाया गया तथा माह जून से अगस्त, 2025 के 3 माह के वितरण उपरांत शेष चावल के स्टॉक के निराकरण में प्रथम आगम, प्रथम निर्गम (FiFo) का पालन न होने से भंडारित चावल की गुणवत्ता प्रभावित होना पाया गया, अतः जिले के समस्त उचित मूल्य दुकानों मे खाद्यान्न का सैम्पल प्रदर्शित किया जावें तथा खाद्यान्न के स्टॉक संधारण में प्रथम आगम, प्रथम निर्गम (FiFo) का अनिवार्यतः पालन कराया जावें। महिला स्व–सहायता समूहों को आबंटित दुकानों का संचालन संबंधित समूह की महिलाओं के माध्यम से ही कराया जावें।

   उचित मूल्य दुकान, ग्राम पंचायत, देवरी (अ) निरीक्षण के दौरान एक बोरी पाला चावल स्टेक में भंडारित पाया गया जो कि अनुचित है। अतः उचित मूल्य दुकानों को केवल निर्धारित गुणवत्ता का चावल प्रदाय किया जावें तथा उपरोक्त दोनों उचित मूल्य दुकानों मे पाई गई अनियमितता हेतु संबंधितों के विरूद्व शीघ्र कार्यवाही की जावें।

   जिले समस्त उचित मूल्य दुकानों मे शिकायत/सुझाव दर्ज कराने हेतु राज्य खाद्य आयोग तथा खाद्य विभाग के कॉल सेंटर का नंबर का बैनर/पोस्टर के जरिए स्थायी रूप से प्रदर्शित किया जावें। चावल के सुरक्षित एवं वैज्ञानिक भंडारण की व्यवस्था जिले की समस्त दुकानों मे किया जावें। जिले में ई–केवाईसी हेतु शेष राशनकार्डधारी सदस्यों का ई–केवाईसी शीघ्र पूर्ण कराया जावें।

   अन्य कल्याणकारी योजनाओं के खाद्यान्न का उचित मूल्य दुकान से उठाव हेतु बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण हेतु खाद्य विभाग द्वारा चाही गई जानकारी शीघ्र प्रदाय हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिम जाति एवं

अनुसूचित जाति विकास विभाग के जिला अधिकारियों द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जावें।

(कार्यवाही– कलेक्टर, जिला–बालोद एवं संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर विभाग)

2. खाद्य आयोग के दल द्वारा कचहरीपारा, बालोद के अन्य पिछड़ा वर्ग बालक छात्रावास का निरीक्षण किया गया था, निरीक्षण मे पाई गई कमियों के आधार पर राज्य खाद्य आयोग के कॉल सेंटर नंबर का प्रदर्शन करने, भोजन के दैनिक मैन्यु को प्रदर्शित करने के साथ–साथ प्रत्येक 3 माह में चावल के उपयोग के आधार पर चावल के आबंटन को मांग के युक्तियुक्तकरण के निर्देश दिए गए। छात्रावास मे निवासरत बच्चों की केरियर संबंधी प्राथमिकता के संदर्भ में अधीक्षक द्वारा किए जा रहे श्रेणीकरण के प्रयास संबंधी नवाचार को अन्य आश्रम/छात्रावास मे भी लागू करने की अनुशंसा की गई।

(कार्यवाही– कलेक्टर, जिला–बालोद एवं संचालक, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग)

3. जिले के आंगनबाड़ी केन्द्रों मे दर्ज बच्चों तथा पोषण ट्रेकर मे दर्ज बच्चों की संख्या का मिलान कराया जावें एवं इसमें त्रुटि हो तो सुधार कराया जावें।

जिले में मिशन गोद, गर्भवती महिला हेतु भोजन एवं बाल विवाह मुक्त जिला के संदर्भ मे किए जा रहे नवाचार का संक्षिप्त आलेख खाद्य आयोग को उपलब्ध करावें।

(कार्यवाही– कलेक्टर, जिला–बालोद एवं संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग)

4. शासकीय विद्यालय कचांदूर के निरीक्षण के दौरान चावल एवं भोजन की गुणवत्ता संतोषजनक पाई गई। भोजन/किचन क्षेत्र मे साफ–सफाई की समुचित व्यवस्था की जावें। पके भोजन को उंचे स्थान/स्टैण्ड पर रखा जावें, पीने के पानी की टंकी की नियमित सफाई सुनिश्चित की जावें। किचन क्षेत्र मे फोर्टिफाईड चावल का पकाने एवं उपभोग संबंधी जानकारी स्थाई रूप से प्रदर्शित की जावें। जिले के सभी विद्यालयों मे राज्य खाद्य आयोग एवं खाद्य विभाग के कॉल सेंटर नंबर को शिकायत/सुझाव हेतु प्रदर्शित किया जावें।

(कार्यवाही– कलेक्टर, जिला–बालोद एवं संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय)

बैठक धन्यवाद ज्ञापन सहित समाप्त हुई।

(राजीव कुमार जायसवाल)
सदस्य सचिव
छ.ग. राज्य खाद्य आयोग